

# निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ४ (१९८) आकाशि / अनु/ २००६ / ८५८६

दिनांक : १३/१२/२०११

## आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवृद्धि तरंग संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	196	आर्यन भाविद्यालय	बी.एस.एन.एल.कार्यालय के समैन. दीतारामगढ़ जिला सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवृद्धि विषय एवं संकाय एवं स्नातकोत्तर सर पर नवीन विषय हिन्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान

नोट— संस्था ६ माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करे।

1. संवाधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय करने का दायित्व संभव संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहीनाशी प्राचार्य एवं याच्याताओं तथा नियारित मानदण्ड अनुसार अशेषाणिक रूपाने की नियुक्ति के साथ-२ अन्य नियारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान तथा वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संरक्षण को समय-२ पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी रीडिंग संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्संबन्धी नियम 1993 के सभी उपकरणों की नियंत्रण अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनको विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की नियन्त्रण अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर नियारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक  
कालेज शिक्षा राजी, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी संचिय, मान उच्च शिक्षा मंत्री मंडीदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी संचिय, प्रमुख शासन संचिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी संचिय, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेकटर, सीकर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (मूप-४) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल संचिय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. संचिय, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शास्त्र, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. राजित पत्रावली।

संयुक्त—निदेशक (अनुदान)